भ्रष्टाचार उन्मूलन

1857 **श्री नागमणिः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन): (क), से (ग) जी, हां। सरकार सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है तथा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। लोक-सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में नीतियां बनाई गई हैं तथा इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने एवं बदलते हुए वातावरण-परिवेश के प्रति अनुकूल बनाने के लिए इनमें निरंतर रूप से प्रभावनीय परिवर्तन किए जा रहे हैं। सचिव तथा विभागाध्यक्ष ही मुख्यतः अपने मंत्रालय/विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ज़िम्मेवार हैं। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अन्य दो एजेंसियां हैं जो इस कार्य में जुटी हुई हैं।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में आवश्यकता मार्गदर्शन और जहां कहीं आवश्यकता हो, सहायता करने के अतिरिक्त इस बारे में मंत्रालयों/विभागों के प्रयास भी समन्वित करता है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य-योजना जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समाप्त किरने के लिए निवारण, निगरानी और सुराग़रसानी तथा निवारक दण्डात्मक कार्रवाई के माध्यम से त्रिसूत्री रण-नीति अपनाई जाती है। यह आरम्भिक रूप में 1985-86 में लागू की गई थी तथा इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा है।

सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार समाप्त करने की दृष्टि से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूलतः 1947 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 जो अपेक्षाकृत ज्यादा व्यापक है, को अधिनियमित करके और मजबूत बनाया गया है। 1988 के नए अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्था है:—

(1) "लोक सेवक" जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार अथवा बैंकिंग आदि में लगी पंजीकृत सहकारी समितियों के पदधारी भी शामिल हैं, की परिभाषा को क्षेत्र व्यापक बनाना।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु उपबंध का समावेश।

(3) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165 "क" के अंतर्गत अपराध का समावेश।

(4) "आय के ज्ञात स्रोत" शब्द (जिसका तात्पर्य केवल आय का विधि-सम्मत स्रोत है) की परिभाषा का समावेश करना।

भ्रष्टाचार निरोधी उपाय, जो सेवकों की सेवा-शर्तों को शासित करने वाले विभिन्न आचरण नियमों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित हैं, भ्रष्टचार निवारण के उपाय के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की व्याधि का उन्मूलन करने तिथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए व्यापक तथा विस्तृत विधायी तथा सांविधिक उपबंध विद्यामन हैं।

Schemes for Creating Employment in Gujarat

1858. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the scheme being implemented in Gujarat for creating employment for all;

(b) the amount allocated to Gujarat for the purpose during the last three years; and

(c) the targets fixed and achieved in this regard during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) to (c) Major schemes being implemented for creating employment in the all States/

UTs including Gujarat are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS).

The Integrated Rural Development Programme (IRDP) is a Self Employment programme aimed at creating self employment opportunities for familes living below the poverty line in rural areas by providing financial assistance in the form of subsidy by the Govt. and term credit advanced by financial institutions for income generating activities.

Jawahar Rozgar Yogana (JRY) and Employment Assurance Scheme (EAS) are wage employment programme being implemented in Gujarat for providing sustainable employment to the rural poor.

The details of physcial and financial performance for the last three years under the schemes of IRDP, JRY and EAS are as under:—

	Year	Allocation (Rs.in lakhs)	Utilisation	Physical Target	Physical Achievement
				(Families in Nos.)	
Ke					
IRDP.	1993-94	3090.00	3354.85	74909	79725
	1994-95	3063.00	3259.82	61262	76498
	1995-96	3059.22	3077.68	*	55686
					Mandays Generated (Lakhs Mandays)
JRY **	1993-94	12925	11716	211	233
	1994-95	13835	14166	240	259
	1995-96	14004	12824	213	219
EAS:	1993-94	***	146	***	7
	1994-95	***	1810	***	35
	1995-96	***	5752	***	92

* During 1995-96 the physical target was not fixed.
** Including Intensified JRY.
*** EAS is a demand driven scheme and therefore, has not formal yearly allocation and target.

गुजरात में "कापार्ट" द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

1859. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेषकर सूरत, भरूच, वलसाड़ और पंचमहल जिलों के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद (कापार्ट) द्वारा इसके आरंभ से लेकर जून, 1995 तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है,

(ख) इन जिलों की किन-किन एजेंसियों को "कापार्ट" के माध्यम से सहायता दी गई है और ये एजेंसियां किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;